




FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... वसुधा 3 ड लम्बे पं 500 मुकाम... बायड

..... देवाराम बनाम भंवरलिंग वंश .....

किस्म मुकदमा... वा० श्रावो 111,128 RURA नं... 15/19 सन्... 2019 .....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/01/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>सुनाराम</u> .....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RURA</u> .....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>28/01/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
28/01/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विजयीगिरी के नोटिस तामील बुझा गया जिसे तामील पत्रावली दीया गया। विजयीगिरी का कजुस तामील अनुपस्थित। पत्रावली पीठासीन अधिकारी दिगर कार्या में व्यक्त है। मिसल इस्तवा होने से मिसल इस्तवा होउ। सामाजी दिनांक 06/03/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
06/03/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय म्शकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यक्त हैं। मिसल इस्तवा होकर दिनांक <u>10/06/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	

10/06/19

पार्थी वडील उपस्थित। विधायीगण वाक्युड  
तामिल अनुपस्थित। सीमान पीढासीन अधिष्ठा  
डिग्न डार्थी में व्यक्त होने से मित्रत्व इत्यत्र  
चौहर आगामी दिनांक 18/06/19 को फेरा है।

18/06/19

पार्थी वडील उपस्थित। विधायीगण वाक्युड  
तामिल अनुपस्थित। व्यापारिक समय तीन बार  
कर आवाज लगाई गई कौलिय आवाज 5.45 PM  
पर लगाई गई विधायीगण स्वयं या उनकी कोर  
से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ सिधजा  
उनके विरुद्ध एडवोकेट डार्थवादी समल में लाई  
जाली है। पार्थी अधिवक्ता की एडवोकेटि क्लर  
सुनी गई पार्थी के अधिवक्ता ने बताया की  
पार्थी को अपने व्यावसायी घेतो के चारों कोर पन्डे  
नेषम स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए  
पार्थी का नेषम वनी कावेन स्वीकार किया जाउ  
नेषमवनी कोरा हीया जावे।

अतः पार्थी अधिवक्ता के निवेदन  
पर पार्थी का पार्थना-पत्र स्वीकार हीया जाउ  
तदनुसार जिडा को डार्थवादी नियुक्त हीया जाउ  
है व कोरा दिया जाउ है कि काय स्वयं  
या अपने अधिनस्थ हीली भी शू अमिलेय  
निरिकुत से पार्थी के व्यावसायी घेतो की पन्डी नेषम-  
वनी मांडे पर चुल्ड जमाउताउ करे पालना रिपोर्ट  
प्राप्त होने पर वामिल पञ्जावली ही पञ्जावली फेमल  
सुमार है, डार्ज नम्बर से उम है, दाखिल इत्यत्र है।

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/.....356

दिनांक:- 18/06/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. देवाराम पुत्र मगाराम वगैरा 21 जाति नाई निवासी गिडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर		1. भंवरसिंह पुत्र बूलिदानसिंह वगैरा 24 जाति राजपूत निवासी गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 15/19

आदेश

मौजा ग्राम गिडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 88,119,120 व 389/120 रकबा 01-19, 00-07, 35-05 व 00-08 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर

दिनांक: 18/06/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण देवाराम पुत्र मगाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण भंवरसिंह पुत्र बूलिदानसिंह वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिडा

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर